संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

विज्ञप्ति – जनसूचना

"मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम 2008," सम्पूर्ण म0प्र में दिनांक 6/08/2008 से लागू है। अधिनियम की धारा 3 में प्रावधानुसार किसी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा से संबद्ध व्यक्ति पर, चिकित्सा और सेवा संस्थाओ के भीतर या किसी चल विरुजालय (क्लिनिक) या किसी एम्बुलेंस में चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल (केअर) प्रदान करने से संबंधित उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निर्वहन के या उससे आनुषंगिक किसी कार्य के दौरान हमला, आपराधिक बल, अभित्रास और धमकी का कोई भी कार्य प्रतिषिद्ध है। यदि कोई व्यक्ति उक्त धारा का उलंघन स्वेच्छापूर्वक करता है तो उसे 3 माह तक का कारावास अथवा दस हजार रु तक का जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किया जा सकेगा। यह अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय है।

संचालक, (अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश